ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED AND BUDGET ESTIMATES OF THE DAMODAR VALLEY CORPORATION.

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): I beg to lay on the Table—

(1) (i) A copy of the Annual Report of the National Projects Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 1965-66 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above Company
[*Placed in Library. See* No. LT-262/67].

(2) A copy of the Budget Estimates of the Damodar Valley Corporation for the year 1967-68, under sub-section (3) of section 44 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948. [Placed in Library, *See* No. LT-263/67].

ESSENTIAL COMMODITIES ACT.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act 1955:—

(i) The Solvent- Extracted Oil, De-Oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967, published in Notification No. G.S.R. 410 in Gazette of India dated the 17th March, 1967.

(ii) S.O. 989 published in Gazette of India dated the 25th March, 1967, extending the Fertiliser (Control) Order, 1957, to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli. [*Placed in Library. See* No. LT-264/67].

12.50 hrs.

STATEMENT RE. PERSONAL EXPLANATION OF MINISTER

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, 20 मार्च, 1967 को प्रश्न काल के दौरान कबीना के दो मंत्रियों के ऐसी संस्थाओं तथा संगठनों के साथ गहरा संबंध होने के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये जिन्हें अमरीकी सी० आई० ए० द्वारा वित्त-पोषित प्रतिष्ठानों यानी फौंडेशनों से अनुदान मिलते हैं । उस समय मैंने श्री जार्ज फर्नांडीस द्वारा मुझे लिखा गया एक पत्र पढ़ा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने उस प्रातःकाल अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्यालय से युवक कांग्रेस की गतिविधियों के जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में पूछ-ताछ की तो जिस लड़की ने टेलीफोन पर उत्तर दिया उस ने यह कहा कि सर्वश्री तिवारी तथा डि मैल्लो युवक कांग्रेस के क्रमशः प्रधान तथा महासचिव हैं परन्तु यह कि वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह इस कार्य के सर्वोपरि कर्त्ताधर्ता हैं । वास्तव में उस लड़की ने यह कहा कि जहां तक युवक कांग्रेस की गतिविधियों का सम्बन्ध है श्री दिनेश सिंह सर्वे सर्वा (आल-इन-आल) हैं । बाद में दोपहर के समय श्री दिनेश सिंह ने वैयक्तिक स्पष्टीकरण करते हुए मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैंने यह दोषारोपण किया है कि श्री दिनेश सिंह भारतीय युवक कांग्रेस के प्रचारी हैं और यह युवक कांग्रेस का संगठन सी० आई० ए० से धन प्राप्त कर रहा है । उन्होंने कहा कि मैंने दोनों बातें गलत कही हैं । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा

कि "वह युवक कांग्रेस के प्रभारी नहीं हैं ।" इसके बाद जब डा० लोहिया ने उन से पूछा कि क्या वह पहले उस संगठन के प्रभारी थे तो वह चुप रहे । स्पष्ट है कि वह जानबूझ कर सभा को गुमराह करने और धोखे में रखने का प्रयत्न कर रहे थे ।

कांग्रेस बुलेटिन के जुलाई–सितम्बर 1965 के अंक मे पृष्ठ 255 पर मैंने यह परिपत्र देखा :

प्रिय मित्र,

आप को सूचित किया जाता है कि केन्द्र और राज्य दोनो स्तरो पर "इंडियन यूथ कांग्रेस" का विघटन कर दिया गया है ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस विभाग का पुनर्गठन किया जा सके ।

युवक कांग्रेस की समूची जिम्मेदारी और कार्यभार श्री दिनेश सिंह को सौंपा गया है जो वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री है ।

चूंकि श्री पूरण सिंह आज़ाद अब "इंडियन यूथ कांग्रेस" के प्रधान नही रहे है इसलिए सभी पत्र निम्न पते पर भेजे जायें —

श्री दिनेश सिंह,
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति,
7, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली-1

भवदीय,
ह० टी० मनियन
महा-मंत्री ।

अब श्री दिनेश सिंह यह नही कह सकते कि यह परिपत्र अनधिकृत है । मैं ने कांग्रेस के अधिकृत बुलेटिन से इस की नकल उतारी है और इस परिपत्र पर कांग्रेस के महामंत्री श्री टी० मनियन के हस्ताक्षर हैं । फिर, उसी पृष्ठ पर एक और परिपत्र प्रकाशित हुआ है जो तीन दिन बाद स्वयं श्री दिनेश सिंह ने जारी किया था । इस में उन्होंने उस "महान उत्तरदायित्व" का उल्लेख किया है जो कांग्रेस अध्यक्ष ने उन के ऊपर डाला है ।

इस परिपत्र में उन्होंने युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का "समर्थन और सक्रिय सहयोग" पाने की आशा व्यक्त की है । अतएव, श्री दिनेश सिंह स्वयं अपने ही परिपत्र को ध्यान मे रख कर यह नही कह सकते कि युवक कांग्रेस के कार्य के सर्वोपरि प्रभारी के रूप से उन की नियुक्ति उनकी जानकारी और अनुमति के बिना की गई थी ।

जहां तक मुझे जानकारी मिल सकी है श्री दिनेश सिंह तभी से इस रूप में कार्य कर रहे है ।

वह इस कार्य के प्रभारी व्यक्ति के रूप मे पत्र तथा परिपत्र जारी करते रहे हैं और युवक कांग्रेस के उत्सवों मे भाग लेते रहे हैं । इसलिए उनका यह कहना कि मैंने उन पर "आक्षेप" किये है पूर्णतया निराधार है । जिन परिपत्रों का मैने ऊपर उल्लेख किया है उनसे तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उस कर्मचारी के वक्तव्य से जिसने श्री जार्ज फर्नांडीस के प्रश्न का यह उत्तर दिया था कि युवक कांग्रेस के मामले मे श्री दिनेश सिंह ही कर्ता-धर्ता है यह सिद्ध होता है कि मेरा वक्तव्य सत्य था और व्यापार मंत्री महोदय ने सभा के समक्ष गलत वक्तव्य देकर वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बहाने से सभा का अपमान किया । इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि वह सी० आइ० ए० द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठन के कलंक मे भागी नही माने जाय । युवक कांग्रेस इस स्रोत से धन प्राप्त कर रहा था या नहीं इस की जांच एक उच्च स्तरीय जांच कमीशन द्वारा, जिसके गठन के लिए हम सब ने मांग की है, की जानी है । अमरीकी समाचार पत्रों ने, जिन्होंने सी० आइ० ए० की गतिविधियों का इतने साहस के साथ भंडाफोड़ किया है, उन सभी भारतीय संस्थाओं के नाम प्रकाशित किये हैं जिन्होंने सी० आइ० ए० से धन प्राप्त किया है और "इंडियन यूथ कांग्रेस" उनमें से एक है । इसलिये श्री दिनेश सिंह का इनकार कोई माने नहीं रखता ।

[श्री मधु लिमये]

इस के बाद अध्यक्ष महोदय, मैं ने कल एक पत्र आप को दिया है। युवक कांग्रेस का "कृति" नाम का यह अंक है। इस सबूत को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। इस में श्री दिनेश सिंह के बारे में कहा गया है :

भारतीय युवक कांग्रेस परामर्शदातृ समिति के प्रमुख सलाहकार श्री दिनेश सिंह की शुभकामनाएं। और भी सबूत इस के सम्बन्ध में हमारे सामने हैं लेकिन मैं अधिक समय जाया नहीं करना चाहता।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : माननीय सदस्य ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मैंने सभा में गलत वक्तव्य दिया था। मैंने उनके वक्तव्य को बहुत ध्यान से सुना है।

सर्वप्रथम यह धारणा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है कि मैं युवक कांग्रेस में "सर्वेसर्वा" हूं। साधारणत: श्री मधु लिमये द्वारा मुझे यह सम्मान दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होती। युवक कांग्रेस देश में एक प्रमुख युवक संस्था है और मैं इसके कार्यकलाप का पूर्णत: संचालन करना अपने लिये अवश्य ही सम्मान और विशेषाधिकार की बात समझूंगा। उनके वक्तव्य के विषय में मेरे इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य सभा के सामने सही विद्यमान स्थिति को रखना ही था।

इस संगठन के साथ अपने सम्बन्ध को मैंने कभी भी छिपाना नहीं चाहा। वास्तव में मैं 20 मार्च, 1967 को सभा में स्पष्टत: कह चुका हूं कि मैं युवक कांग्रेस की केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य हूं। यह स्वाभाविक ही है कि समय समय पर युवक कांग्रेस के सदस्य विभिन्न मामलों में मुझ से राय लेते हैं। कभी कभी मुझे विशिष्ट उत्तरदायित्व भी सौंपे गये हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने तदर्थ समितियों को विघटित करके युवक कांग्रेस को पुनर्गठित करने का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा था। मैंने यह कार्य अगस्त 1965 में सम्भाला था। राष्ट्रीय परिषद और राज्यों की परिषदों के पुनर्गठन का कार्य काफी समय तक चला। किन्तु युवक कांग्रेस को चलाने का उत्तरदायित्व संयोजक को सौंप दिया गया था जिसकी नियुक्ति 31 अगस्त, 1965 को की गई थी। इसके पश्चात महा-मंत्री की नियुक्ति की गई और राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया जिसमें प्रमुखत: प्रदेश परिषदों के संयोजक हैं।

श्रीमान, मेरे विचार में मुझे यहां अपने राजनीतिक दल, जिसका सदस्य होने का मुझे सम्मान प्राप्त है, के कार्यों के विषय में कुछ कहने की शायद आवश्यकता नहीं है और मेरे ख्याल में ऐसे प्रस्तावों से कोई लाभप्रद प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। किन्तु अब यह मामला उठा ही दिया गया है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि युवक कांग्रेस का अधिकांशत: पुनर्गठन हो गया है। उस का अपना संविधान है और वह सामान्य रूप से कार्य कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का युवक विभाग होने के नाते वह स्वभावत: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामान्य पथ-प्रदर्शन में कार्य करती है।

माननीय सदस्य का दूसरा लाछन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक मुझे ज्ञान है युवक कांग्रेस को अमरीकी सरकार के केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से कोई धन नहीं मिला है।

माननीय सदस्य ने जिस दस्तावेज का हवाला दिया है उस से उनकी बात सिद्ध नहीं होती। वह दस्तावेज 26 अगस्त, 1965 की तारीख का है। तब से दो वर्ष बीत चुके हैं और बहुत चीजें हो चुकी हैं। क्योंकि यह मामला माननीय अध्यक्ष के निदेश 115 के अन्तर्गत उठाया गया है, इसलिये मैं आप से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सभा में कोई गलत

वक्तव्य नहीं दिया है । यदि माननीय सदस्यों का उस वक्तव्य के बारे में जो मैंने पहले यहां दिया था कोई सन्देह था तो वे आसानी से मुझ से सम्पर्क स्थापित कर पूछ सकते थे और उन के मन में कोई गलतफहमी होती तो उसे दूर करने में मुझे बहुत प्रसन्नता होती और सदन का समय भी बचता

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक प्रार्थना करना चाहता हूं । मैं एक नया सदस्य हूं, यहां आने पर मैं बहुत कुछ सुन रहा हूं . . .

Mr. Speaker: What is your subject?

श्री एस० एम० जोशी : मेरा सब्जेक्ट यह है कि कई लोगों के ऊपर यहां आरोप लगाये जाते हैं, जिससे उन का चारित्रय हनन होता है । परसों जब मैं यहां खड़ा हुआ और प्रिवलेज के बारे में आपकी इजाजत चाही थी, तब भी मैं यही कहना चाहता था—जब कि माननीय प्रधान मंत्री कुछ बातें कहने जा रही थीं और वे जब तक उन्होंने कही नहीं, तो यह कैसे कहा जाता है, कल भी हम ने सुना और पत्रों में भी पढ़ा, यही कहा गया—"कि ऐसा होता है, ऐसा होता है ।" आखिर हमारा कर्तव्य क्या है, व्यक्तिगत मामलों में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन शासनकर्ता मंत्री महोदय हैं, उन के जो काम हैं, जो हम देश के हित में सही नहीं समझते हैं, क्या उनको एक्सपोज करना हमारा काम नहीं है ? यदि वह नहीं है तो हम यहां किस लिये बैठे हुए हैं ?

Mr. Speaker: When you have to raise a point, you have to do it by following the rules. That is all. Nobody can object to your raising a point. But there are certain rules which we have given to ourselves and which we have to follow. That is the only short point. Otherwise, you will raise one point, another Member a second point, a third point and so on and there will be no end to it.

श्री एस० एम० जोशी : मैं अक्सर कभी उठने वाला आदमी नहीं हूं । आप ने भी उस रोज कहा था कि जो कुछ बातें उठाई गई हैं, उस के लिये प्रधान मंत्री वक्त चाहती हैं और उन के वक्त चाहने के बाद मैंने डाक्टर साहब से कहा कि आप को रुकना चाहिये । कल उन्होंने फिर वही बात कही लेकिन उस का कोई ब्योरा नहीं दिया . . .

Mr. Speaker: Whatever it is, I only wanted to say that everything should be done according to the rules. For instance, a senior and esteemed friend of mine, Shri Sharma, and some other hon. Members wanted to raise something very urgent. I did not allow them to do that because I wanted to consider it. Naturally, I would give them a patient hearing, not here in the House but certainly in my chamber and I will give my decision. Because, I have received a number of Calling Attention Notices which I have not allowed as I can allow only one. Though half a dozen of the Calling Attention Notices may be important, I can allow only one. So, Shri Sharma's Notice could not be taken up today. Similarly, Shri S. M. Joshi could also meet me in my chamber and tell me what he wants to raise. I will consider them. Otherwise, without any notice to me, if hon. Members go on raising points one after the other where will it lead us? If I had allowed the notice of Shri Sharma, a very senior colleague of mine, whom I respect most—I know him for years—that discussion would have lasted for more than one hour because it was on the Punjab affair. Similarly, I would request Shri Joshi also not to raise points like that in the House without notice. Let the rules be followed in whatever we do in the House. I am making this appeal to both sides of the House.

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 357....

Shri Hem Barua (Mangaldai): Sir, why do you say that you respect only Shri Sharma because you know him well? Why this differentiation?

Mr. Speaker: I respect all members.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh (Parabham): Sir, on a point of order.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : स्पीकर साहब, पंजाब की डिबेट भी चले ।

Mr. Speaker: Shri Deshmukh wants to raise a point of order. What is it about?

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Sir, my point of order relates to the position which the Speaker should occupy in the enforcement of the rules of procedure of the House. Sir, you would realise that it is true that the House and every member of the House must obey the dictum of the rules and where the rules are somewhat vague then we have to refer to precedents. We, all of us, owe allegiance to the Constitution, and that Constitution is interpreted by various lawyers on the basis of precedents. The important point which I wish to raise before you is that during the proceedings of parliament many important issues affecting vitally and more seriously certain issues and points of decision are likely to be taken which are likely to be challenged by the opposition. So, what constitutes a substantial issue of policy is very often raised in this House also. In this light, I seek your ruling on the behaviour of the Speaker of the Punjab Assembly in abruptly adjourning the session....

Mr. Speaker: I will discuss the same matter with Shri Sharma in my chamber. That is exactly what I said. Then, I will come to a decision. Now we will have to adjourn the House for lunch.

13 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

LAND ACQUISITION (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL—*Contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up further consideration of the Land Acquisition (Amendment and Validation) Bill. Shri Maharaj Singh Bharti may continue his speech

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अर्जन कानून के अन्तर्गत जो जमीन ली जाती है उन का जिस तरीके से दुरुपयोग होता है उस पर काफी चर्चा यहां पर हो चुकी है । मेरठ में ही केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तिनापुर का गांव बसाने के लिए भूमि ली गई, कस्बा बसाया गया और आज तक भी वह कोलोनाइजेशन की स्कीम 15–20 साल खर्च हो जाने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई । जो योजना बनाई गई थी वह अपनी जगह पूरी तरह से असफल रही ।

श्रीमन्, गरीब किसानों की भूमि बहुत कम पैसे में लेने के बाद जो उस टाउन की प्लानिंग की गई, उस की हदबंदी की गई, जो गरीब हरिजन लोग वहां रहना चाहते थे उन्हें हदबंदी से बाहर बसाया गया और आज जब उन्हें बसे हुए 10 साल हो गये तो फिर उस टाउन की सीमायें बढ़ायी गईं और फिर उन से कहा गया कि आप यहां से भी उठिये और किसी और जगह चले जाइये ।